



अध्यक्ष • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क0 अध्यक्ष डिस्कॉम्स/मुअ(पीपीएम)/पत्रा. /प्रे0 1073

CIN:U40109RJ2000SGC016486  
जयपुर, दिनांक- 25/8/15

### आदेश

विषय - हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत घरेलू श्रेणी के स्थाई रूप से विच्छेदित कनेक्शनों हेतु रियायती योजना।

हर घर बिजली, डिस्कॉम आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत घरेलू श्रेणी के स्थाई विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित कनेक्शनों को ब्याज/विलम्ब शुल्क में आदेश क्रमांक अध्यक्ष डिस्कॉम्स/मुअ(पीपीएम)/पत्रा./प्रे0 210 जयपुर दिनांक 21/08/2015 से देय छूट केवल उन्ही उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी जिनका विद्युत सम्बन्ध 11/10/2013 से पूर्व विच्छेदित हो गया था। यह योजना 31.10.2015 तक प्राप्त आवेदनों पर लागू होगी। उपरोक्त कटे हुए कनेक्शनों का रि-कनेक्शन यदि तंत्र उपलब्ध है तो आर.सी. फीस लेकर कर दिया जायेगा। यदि तंत्र हटा लिया गया है तो टी.सी.ओ.एस. के प्रावधानों के अनुसार तंत्र विस्तार की राशि ली जाकर कनेक्शन पुनः चालू किया जा सकेगा। उपरोक्त आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

(भास्कर ए. सावन्त)  
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, \_\_\_\_\_
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता( ), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/भरतपुर /कोटा/अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू/जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर को संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य/योजना/पीपीएम), जयपुर/जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता(एमआईएस), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
7. निजी सचिव-ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सचिव (प्रशा0), जयपुर/जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. निजी सचिव - प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी \_\_\_\_\_, जयपुर/जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
11. ओ0एस0डी0 (एटीआर), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

  
मुख्य अभियन्ता(पीपीएम)